पेंशन के लिए आवेदन प्रपत्र–1

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरें) कृप्या जहाँ लागू हो का निषान लगाएँ

☐	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	☐	मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योंजना
☐	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	☐	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
☐	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	☐	बिहार निःशक्तता पेंशन

1.

1. आवेदक का नाम :.....
2. पिता ( )/पति ( ) का नाम :.....माता का नामः.....
3. लिंग :– पुरूष/महिला/ट्रासजेंडर
4. पूरा पता :– ग्राम/मुहल्ला :.....
   पंचायत/नगर/वार्ड :–.....नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत :–.....
   थाना :–..... प्रखण्ड :–.....अनुमण्डल :–.....
   जिला :–.....डाकघर :–.....पिन कोड :–.....
5. कोटि :– अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/समान्य
6. आधार संख्या :–.....निर्वाचन परिचय पत्र संख्या :–.....
7. एसईसीसी संख्या/राशन कार्ड संख्या :– .....
8. सूचना प्राप्त करने हेतू मोबाईल नं0 :–.....ई–मेल :–.....
9. आवेदन का पहचान चिन्ह :–.....
10. बैंक का विवरण (अनिवार्य)
    (क) आई0एफ0एस0सी0 (IFSC) कोड :–.....(ख) शाखा कोड :–.....
    (ग) शाखा का नाम :–.....(घ) बैंक खाता संख्या :–.....
11. पेंशन अर्हता संबंधी सूचना
    (क) आयु :– (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष
    (ग): आय : 1. बी0पी0एल0 का क्रमांक :–.....प्राप्तांक :–.....
    2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं) :–
    (घ) विकलांगता की सिथति में विकलांगता का प्रतिशत :–
12. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ की :–
    (i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
    (ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।
    (iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
    (iv) मैं (नाम) :–.....जिला :–.....
    बिहार राज्य का/की निवासी/अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपयुर्क्त विवरणी सही है। यदि कोई ब्योरा गलत/झुठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाए।

स्थान :–

तिथि :–

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्त्ता का हस्ताक्षर

कृ0पृ0उ0.....2/

Scanned with OKEN Scanner

पेंशन के लिए आवेदन प्रपत्र–1

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरें) कृप्या जहाँ लागू हो का निषान लगाएँ

☐	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	☐	मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योंजना
☐	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	☐	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
☐	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	☐	बिहार निःशक्तता पेंशन

1.

1. आवेदक का नाम :.....
2. पिता ( )/पति ( ) का नाम :.....माता का नामः.....
3. लिंग :– पुरूष/महिला/ट्रासजेंडर
4. पूरा पता :– ग्राम/मुहल्ला :.....
   पंचायत/नगर/वार्ड :–.....नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत :–.....
   थाना :–..... प्रखण्ड :–.....अनुमण्डल :–.....
   जिला :–.....डाकघर :–.....पिन कोड :–.....
5. कोटि :– अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/समान्य
6. आधार संख्या :–.....निर्वाचन परिचय पत्र संख्या :–.....
7. एसईसीसी संख्या/राशन कार्ड संख्या :– .....
8. सूचना प्राप्त करने हेतू मोबाईल नं0 :–.....ई–मेल :–.....
9. आवेदन का पहचान चिन्ह :–.....
10. बैंक का विवरण (अनिवार्य)
    (क) आई0एफ0एस0सी0 (IFSC) कोड :–.....(ख) शाखा कोड :–.....
    (ग) शाखा का नाम :–.....(घ) बैंक खाता संख्या :–.....
11. पेंशन अर्हता संबंधी सूचना
    (क) आयु :– (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष
    (ग): आय : 1. बी0पी0एल0 का क्रमांक :–.....प्राप्तांक :–.....
    2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं) :–
    (घ) विकलांगता की सिथति में विकलांगता का प्रतिशत :–
12. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ की :–
    (i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
    (ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।
    (iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
    (iv) मैं (नाम) :–.....जिला :–.....
    बिहार राज्य का/की निवासी/अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपयुर्क्त विवरणी सही है। यदि कोई ब्योरा गलत/झुठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाए।

स्थान :–

तिथि :–

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्त्ता का हस्ताक्षर

कृ0पृ0उ0.....2/

Scanned with OKEN Scanner

सहमति पत्र–1

मैं श्री/श्रीमती ..... (नाम) आधार संख्या ..... एवं मोबाईल संख्या ..... का धारक सहमत हूँ कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे आधार संख्या वं मोबाईल संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं।

हस्ताक्षर/अँगुठे का निशान

तिथि :–

नाम :–

पता :–

पहचानकर्ता :–

हस्ताक्षर :–

नाम :–

पता :–

Scanned with OKEN Scanner

सहमति पत्र–II

सेवा में,

बैंक

शाखा प्रबंन्धक,
..... बैंक (बैंक का नाम)
शाखा.....
.....
.....

विषय :– मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या :– ..... को आधार संख्या (UIADI Number) से जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

मैं आपके बैंक मे (शाखा का नाम .....) बैंक खाता संख्या :– ..... का धारक हूॅ। मैं अपना आधार संख्या समर्मित करना हूॅ एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता हूॅ कि :– .....

- यू0आई0डी0ए0आई0, भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार/यू0आई0डी0 संख्या को मेरे नाम से संधारित उपर्युक्त खाता संख्या के साथ जोड जाय।
- इसे एनपी0सी0आई0 (National Payments Corporation of India) में दर्ज किया जाय, ताकि भारत सरकार द्वारा 'प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) योजना के तहत लाभ मेरे खाता में प्राप्त हो सके। मैं समझता/समझती हूॅ कि यदि एक से अधिक प्रकार के लाभ बकाया हो तो मैं उस लाभ को इसी खाते में प्राप्त करना चाहूॅगा/चाहूॅगी।
- यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा प्रदत आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित करने में उपयोग किया जाय।
- मेरे निम्न अंकित मोबाईल संख्या को एस0एम0स अलर्ट हेतू उपयोग मे लायी जाय।

आधार के संबंध में विवरणी निम्न प्रकार है :–

आधार/ई0आई0डी0 नं0 .....

आधार ग्राही का नाम (आधार कार्ड के अनुसार.....

मै समझता/समझती हूॅ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना साथ उपलब्ध करायी गयी है, उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथ उपयोग में नहीं लाया जायगा।

(खाताधारी का हस्ताक्षर/अगूॅठे का निशान)

नम :– .....
मोबाईल नं0 .....
ई–मेल .....
अनुलग्नक– आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

बैंक प्रयोग के लिए

आधार संख्या को बैंक खाता से जोड़ने की सम्पुष्टि :–

श्री/श्रीमती .....का .....(बैंक).....शाखा, में संधारित खाता संख्या ..... को आधार संख्या .....एवं मोबाईल संख्या .....से जोड दिया गया है।

तिथि :–

(बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत सचिव/स्तरीय सक्षम सरकारी कर्मी की अनशंसा

1. आय/वी0पी0एल0– पी0पी0एल0 क्रमांक/आय प्रमाण पत्र लागु नहीं
2. आयु प्रामण पत्र–विद्यालय प्रमाण पत्र/निर्वाय परिचय पत्र/अन्य सरकारी अभिलेख/लागु नहीं।
3. विकलागता– 40 प्रतिशत/80 प्रतिशत/लागु नहीं।
4. आवासाय प्रमाण – पत्र – 3 वर्ष/10 वर्ष/लागु नहीं(जो लागु हो उसे सही से चिनहित करें।)

नाम :–

पदनाम :– **(हस्ताक्षर तिथि/मुहर सहित)**

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मेने आवेदन मे अंकित जॉच की है और पाया है। पेंशन स्वीकृत की अनुशंसा/स्वीकृत की जाती है।
.....कारण से पेंशन की अनुशंसा नहीं कि जाती है।आवेदन की प्रविष्टि आनलाईन सॉटवेयर में नहीं की गयी है।/कर दी गई है तथा इसका सर्दन संख्या ..... दिनांक ..... है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर सहित

स्वीकृत पदाधिकारी का आदेश

श्री/श्रीमती .....

.....

को दिनांक ..... से .....पेशन की स्वीकृति दी जाती है।

अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर सहित

अर्हताएँ :–

क्र0	योजना का नाम	आय	आयू	विकलागता	थ्नवास
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेशन योजना	लागू नही	60 यो उससे अधिक		10 वर्ष
2	लक्ष्मीवाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन	अधिकतम 60000 वार्षिक	18 वर्ष से अधिक		10 वर्ष
3	बिहार निशक्तता पेंशन	टाय सीमा नहीं	डम्र सीमा नहीं	40 प्रतिशत से अन्यून	10वर्ष
4	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	बी0 पी0 एल0	60 या उससे अधिक		3 वर्ष
5	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	बी0 पी0 एल0	40 – 70 आयु वर्ग		3वर्ष
6	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय निःश क्ता पेंशन योजना	बी0 पी0 एल0	18 – 79 आयु वर्ग	80 प्रतिशत से अन्यून	3 वर्ष

नोट :– आयु प्रमाा पत्र के रूप में विद्यालय का प्रमाण पत्र / निर्वाचन परिचय पत्र या अन्य सरकारी अभिलेख जिससे उम्र/जन्म तिथि दर्ज हो, मान्य होगें। इसके अनुपालबध रहने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी का उम्र के संबंध में भौतिक सत्यापन मान्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner